दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/465 01/09/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: 1 सितंबर 2025 से प्रभावी वेयरहाउस से एक्स-बॉन्ड बीओई दाखिल करने में सलाहकार परिवर्तनों के संबंध में।

आपको सूचित किया जाता है कि भारतीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल 2.0 ने सीमा शुल्क-बंधित गोदामों से एक्स-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री (बीओई) दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में एक सलाह जारी की है।

परामर्श में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई है:

पूर्व प्रक्रिया:

आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) धारकों को एक्स-बॉन्ड बीओई दाखिल करने और बॉन्डेड वेयरहाउस से माल निकालने की अनुमति थी, भले ही उस विशिष्ट आईईसी और वेयरहाउस के सिस्टम के लेज़र में माल औपचारिक रूप से दर्ज न किया गया हो। ऐसे मामलों में, मात्रा को सिस्टम में रखे गए बीओई लेज़र से सीधे डेबिट कर दिया जाता था।

संशोधित प्रक्रिया (1 सितंबर 2025 से प्रभावी):

· आप केवल उस माल की मात्रा के लिए एक्स-बॉन्ड BoE दाखिल कर सकते हैं जो खाता बही में उपलब्ध है और आपके IEC और उस विशिष्ट गोदाम से मैप की गई है जहां माल संग्रहीत है।

· उपरोक्त के मद्देनजर, सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि एक्स-बॉन्डिंग के लिए आवेदन करने से पहले उनके वेयरहाउस-बॉन्डेड मूवमेंट लेनदेन ICEGATE सिस्टम पर उचित और पूर्ण रूप से पूरे हो जाएं।

· इससे खाता-बही से संबंधित विसंगतियों से बचने में मदद मिलेगी तथा सुचारू एवं निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

विस्तृत परामर्श निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.icegate.gov.in/guidelines/advisory-for-filing-Ex-bond-BE-from-01-09-2025

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस महत्वपूर्ण अद्यतन पर ध्यान दें और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परवे

उप-उप-व्यापार और नीति

प्लेक्सकॉन्सिल